

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/बजट/2013-14/314/515.

दिनांक :- 10/10/13

उप-आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त.....

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों के बाबत।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया पूर्व की भाँति माह नवम्बर-2013 के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ की जाकर माह दिसम्बर-2013 तक पूर्ण की जानी है।

माह अक्टूबर-2013 के अन्तिम सप्ताह में विभिन्न मदों से होने वाली संभावित प्राप्तियों एवं निर्माण कार्यों पर होने वाले व्ययों के बाबत प्रारम्भिक विचार विमर्श करने का निर्णय लिया गया है। जिसके मुख्य कारण निम्न है:-

1. विगत वर्षों में मण्डल का कुल बजट ले-आउट लगभग 500-600 करोड़ का रहता था जिसके एवज में वास्तविक रूप से 400-500 करोड़ का व्यय निर्माण कार्यों में किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 निर्माण कार्यों की दृष्टि से मण्डल के लिए अभूतपूर्व वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि माह अगस्त 2013 तक पाँच माह की अवधि में ही निर्माण कार्यों पर रु 374.39 करोड़ का व्यय हो चुका है। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में पूर्व वर्षों की तुलना में लगभग दुगने से अधिक व्यय होना संभावित है। अतः कायदेशि जारी होने के पश्चात् अर्थात् मण्डल संवेदकों के साथ अनुबंधीय दायित्व सृजित कर देने के पश्चात् भुगतान में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न मदों यथा आवासों का आवंटन, स्ववित्त पोषित योजनाओं, नीलामी इत्यादि से प्राप्त होने वाली राशियों का विस्तृत विवेचन कर सही-सही आंकलन करने का प्रयास किया जा सके।
2. इसी क्रम में निर्माण कार्यों पर होने वाले व्ययों का भी विस्तृत विवेचन कर आंकलन किया जायें तथा ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित कर प्राथमिकता प्रदान की जायें, जिनसे इसी वित्तीय वर्ष में ही परियोजना पूर्ण कर राशियों की प्राप्ति की जा सके।
3. बजट प्रस्ताव में बार-बार होने वाले संशोधनों से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक परेशानी एवं विलम्ब को टला जा सके।

इस क्रम में संलग्न चार प्रारूप जिसमें तीन प्रारूप विभिन्न मदों में राशि प्राप्तियों से सम्बन्धित है एवं एक प्रारूप जो निर्माण कार्यों पर होने वाले व्ययों से सम्बन्धित है, संलग्न कर लेख है कि उक्त सूचनाओं के साथ निम्न कार्यक्रमानुसार आपके अधिनस्थ खण्ड कार्यालयों के आवासीय अभियन्ताओं के साथ प्रातः 11.00 बजे वित्तीय सलाहकार के कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संभावित प्राप्तियों एवं निर्माण कार्यों पर होने वाले व्ययों के बाबत व्यापक विचार विमर्श कर बजट प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया को सरल किया जा सके।

क्र.सं.	वृत्त कार्यालय का नाम	दिनांक
1.	वृत्त-प्रथम, जयपुर	23.10.2013
2.	वृत्त-द्वितीय, जयपुर	24.10.2013
3.	वृत्त-तृतीय, जयपुर	25.10.2013
4.	वृत्त-अलवर	28.10.2013
5.	वृत्त-बीकानेर	28.10.2013
6.	वृत्त-कोटा	29.10.2013
7.	वृत्त-प्रथम, जोधपुर	30.10.2013
8.	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर	30.10.2013
9.	वृत्त-उदयपुर	31.10.2013

उक्त को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

sdh
उप-वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी-सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी-सचिव, वित्त सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/आ.वि.सं.(अ.स.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी(वसूली), रा.आ.मं., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त कार्यक्रमानुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का श्रम करें।
6. संयुक्त निर्देशक, (एस.ए.) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त पत्र को सभी संबंधित के ई-मेल पर एवं महत्वपूर्ण आदेशों की साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

1/2014/11/10.10.13
उप-वित्तीय सलाहकार

